

**अनुमति की शर्तें।**

- (I) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (II) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (III) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (IV) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

**एकल श्रेणी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 027 दिनांक 05/04/19

प्रार्थिगा श्रीमती सलोथ ककर जो 10 की राणासिंह

ने राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009 No: 36 खसरा नम्बर 517 जाम धासी -

घाग 194 (7) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मान्यता प्राप्त न पत्र

का स्वनिर्धारण राजस्व 19881 - वर्षे जमा

जतिवे रसीद संख्या 10051 92063 9207

दिनांक 03/04/19 को जमा करा दी है।

*यशवीर*

प्रारूपकार

नगर निगम, जोधपुर

नगरपालिका प्रमुख  
जोधपुर